

Fourteenth Loksabha**Session : 7****Date : 21-03-2006****Participants : Shiwankar Shri Maha Deo Rao**

an>

Title : Issue regarding the loss incurred by the railway due to alleged differences between the officials of Maharashtra Government and railway officials of Nagpur Division.

प्रो. महादेवराव शिवनकर : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे पर नागपुर डिवीजन में आमगांव एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने का कार्य और नयी रेलवे लाइन डालने का कार्य रेलवे की भूमि में गत वर्ष से चल रहा है। 23-10-2005 को तहसीलदार, आमगांव ने मिट्टी का काम बंद करने का आदेश दिया और रॉयल्टी जमा करने के कहा तथा 57,000 रुपये की रॉयल्टी पर 3,42,000 रुपये का दंड भरने को कहा। रेलवे विभाग नागपुर के उच्च न्यायालय में गया, कोर्ट ने स्टे भी दे दिया और 6 माह काम बंद रहा। फिर से काम चालू किया गया मगर फिर तहसीलदार आमगांव, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी ने रॉयल्टी के लिए रेलवे की जगह पर खड़े एक निजी ट्रक को दिनांक 20.03.2006 को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी और नागपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों के झगड़े के कारण 60 रोज काम बंद रहा। 60 रोज पूर्व अगर यह काम पूरा हो गया होता तो कम से कम 60 रैक्स वहां प्राप्त हो सकते थे और 4 करोड़ 80 लाख रुपये रेलवे को मिलते। वहां जो कांट्रैक्टर था, उसने प्रति रोज 10,000 रुपये का नुकसान भी मांगा है। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी एवं रेलवे के अधिकारियों के कारण रेलवे को भारी प्रमाण में नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं रेलवे विभाग से विशोकर माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हं कि इस झगड़े के संबंध में तुरंत पहल करें अन्यथा यह घटना महाराष्ट्र में हो गई है लेकिन इसके कारण विकास के सारे काम अवरुद्ध हो जाएंगे। दोनों जगह केन्द्र और महाराष्ट्र में एक ही पार्टी की सरकार है मगर यह सरकार किस प्रकार से दोनों राज्य में चल रही है और कैसे झगड़े हो रहे हैं, इसका यह एक नमूना है। इसलिए रेलवे विभाग से मेरी प्रार्थना है कि इसमें तुरन्त दखल दे और जो भी इसके लिए दोगी पाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए।